

12/2/26

पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उच्च पक्ष उपस्थित है। आज श्रीम.
रघुचन्द्र अधिकारी राज्य कार्यवाह बाह्य दौरे में तशरीफ रखते हैं।
प्रत्येक कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेंस पर है। अतः
सबसे अधिक कार्यवाही हेतु दिनांक 27/2/26 को पेश हो
ए

27/2/26 पत्रावली पेश हुई। अग्रणी वातपूह सूचना अनु०।
अग्रणी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई अमल
में लाम्बी जाती है। पत्रावली वास्ते बहम दि०
6/3/2026 को पेश हो।
ए

6/3/26 पेशोका सरकार उप०। बहम उभमपक्ष धुनी
गई पत्रावली वास्ते आदेश दि० 17/3/26 को
पेश हो।
ए

17/3/26 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। पेशोका सरकार उप०।
प्रा.पत्र प्रतीतिश्रीकाट किया जाता है। विस्तृत निर्णय
पृथक् से लिखा जाकर शा.मि. किया गया। निर्णय की
एक प्रति तहसीलदार तालेडा को पालगार्क भेजी जावे।
पत्रावली फैसल शुमार शेकाट नम्बर से कम हो जाय
तामील तकमील नियमानुसार दारिकेला इफ्तार हो।
ए

न्यायालय उपस्रण्ड अधिकारी तालेडा जिला (बून्दी)
पीठसीन अधिकारी श्रीमती मनस्वी नरेश R.A.S

मिसल नं०
319/प्रा०पत्र/2025

तारीख दायरा
03.02.2025

तारीख फैसला
17.03.2026

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी

प्रार्थी

बनाम

कान्ताबाई पत्नि बद्रीलाल मालव जाति धाकड निवासी ग्राम कैथुदा तालेडा

अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता

अभिभाषक प्रार्थी - पेटेकार सरकार

अभिभाषक अप्रार्थीगण-

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम खेडला पटवार मण्डल रघुनाथपुरा तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 403/38 रकबा 0.0243 हैक्टे० किस्म नहरी 2 भूमि खातेदार कान्ताबाई पत्नि बद्रीलाल मालव जाति धाकड निवासी ग्राम कैथुदा तालेडा जिला बून्दी के नाम भूमि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का रघुनाथपुरा अप्रार्थी द्वारा खेडला पटवार मण्डल रघुनाथपुरा तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 403/38 रकबा 0.0243 हैक्टे० किस्म नहरी 2 भूमि जो कि कृषि भूमि है पर अकृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि कृषि भूमि है जबकि अप्रार्थी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सम्परिवर्तन कराये उक्त भूमि को अकृषि उपयोग (दुकाने) संचालित किया जा रहा है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के विरुद्ध हैं। उक्त भूमि का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सम्परिवर्तन कराये कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनता है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को अपूर्णनीय क्षति होगी जिससे पूर्ति द्रव्य मे सम्भव नही है। राज्य सरकार की ओर से जयें तहसीलदार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण न्यायालय फीस से मुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि खातेदार काश्तकार द्वारा कार्य व शर्ते भंग करने के कारण ग्राम खेडला पटवार मण्डल रघुनाथपुरा तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 403/38 रकबा 0.0243 हैक्टे० किस्म नहरी 2 भूमि सिवायचक सरकार घोषित किया जावे तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जाराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करे ।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जयें नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस पेटोकार सरकार एकपक्षीय सूनी गई। दोराने बहस पेटोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर अकृषि कार्य किया जाकर कार्य व शर्ते भंग करने के कारण ग्राम खेडला पटवार मण्डल रघुनाथपुरा तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 403/38 रकबा 0.0243 हैक्टे० किस्म नहरी 2 भूमि सिवायचक सरकार घोषित किया जावे तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जाराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करे।


my

तहसील उभायपक्ष सूबने एवं पन्नावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अप्रार्थीगण द्वारा वाद वर्णित आराजी खरारा संख्या 403/38 एकटा 0.0243 हेक्टे0 किस्म नहरी 2 ग्राम खेडला पटवार मण्डल रघुनाथपुरा तहसील तालेडा पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि कार्य कर खातेदार कृषक ने कृषि जोत पर अहितकर कार्य एवं शर्त भंग का दोषी होना माना गया है किन्तु तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त कृषि जोत में कितने हिस्से पर किस प्रकार का अकृषि कार्य किया यथा उक्त अकृषि कार्य हेतु स्थायी रूप से निर्माण कर अकृषि कार्य किया गया अथवा अस्थायी निर्माण किया गया है। साथ ही उक्त निर्माण कितने भूभाग पर व किस प्रकृति का है के सम्बन्ध में नाप चोक व अन्य विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया गया है ना ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने पर किन नियमों के तहत क्या कार्यवाही की गई का विवरण अथवा दस्तावेज संलग्न नही किये गये है, ना ही तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व भू-रवागी की हैरियत से कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न किया गया है अपूर्ण कार्यवाही के मध्यमजर न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का अजिन निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपूर्ण दस्तावेज एवं स्पष्ट रिपोर्ट के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार स्वयं के स्तर की वांछनीय कार्यवाही की जाकर पूर्ण दस्तावेजों व स्पष्ट रिपोर्ट के साथ न्यायालय में पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे द्वारा टिकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(मनस्वी नरेश)
उपरखण्ड अधिकारी
तालेडा